

~~13/4/2026~~

23/4/26

वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र पेश करने
पर न्यायालय में पत्रावली आज पेशी में ली गई।

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / नोट प्रेस में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो।

+